कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश

पत्रांक 16 / सी/क्रय–सुर0/2009–10 दिनांक 02–11– 2009

आदेश

उत्तम शुगर मिल्स लि0 शेरमऊ जनपद– सहारनपुर परिक्षेत्र–सहारनपुर की पेराई सत्र 2009–10 हेतु प्रस्तुत मांग पर कार्यालय ज्ञाप संख्या–1244/सी/क्रय/ग0आ0/2009–10 दिनांक 16–9–2009 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्यक परीक्षणोपरान्त, विज्ञप्ति संख्या–1245/सी दिनांक 16–9–2009 द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–12 (2) के अन्तर्गत गन्ने की अनुमानित आवश्यकता **63.00 ला0कुं0** विज्ञापित किया गया है । उक्त कार्यालय ज्ञाप में यह स्प ट उल्लेख किया गया है कि ''आवश्यकता का निर्धारण उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–15 के अन्तर्गत उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु चीनी मिल क्षेत्रवार हुए गन्ना उत्पादन/ उपलब्धता से आच्छादित रहेगा ।''

गत व ि उत्तम शुगर मिल्स लि0 शेरमऊ `जनपद– सहारनपुर ने दिनांक **25–11–2008** को पेराई कार्य प्रारम्भ कर दिनांक **17–03–2009** को पेराई सत्र का समापन किया । इस प्रकार चीनी मिल **ने 113 कार्य** दिवसों में अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में **उपलब्ध 89.56 ला0कुं0** गन्ना उत्पादन में से **लगभग 33 प्रतिशत** ड्राल करते हुए, **29.12 ला0कुं0** गन्ने की पेराई की ।

कृ ाकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने एवं गन्ने की अधिक से अधिक खपत, चीनी उत्पादन में करने हेतु यह अनिवार्य है कि चीनी मिलें अपने आवंटित क्षेत्र से अधिकतम् गन्ने की खरीद/पेराई करें एवं ऐसी प्रबन्धकीय एवं तकनीकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, जिससे गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता में पर्याप्त सामंजस्य बना रहे ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 की धारा–15 के प्राविधानो के अनुपालन में दिनांक 13–9–2009 को गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ में सहारनपुर परिक्षेत्र की सहकारी गन्ना विकास समितियों, गन्ना कृ ाको एवं चीनी मिलो का पक्ष पेराई सत्र

2009–10 में गन्ना क्षेत्र आवंटन एवं गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में सुनवाई की गई ।

विगत व र्ो में चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान में बिलम्ब तथा गन्ना विकास कार्यो में अरूचि के कारण गत व र् के सापेक्ष इस व र् गन्ना क्षेत्रफल में गिरावट आई है । इस चीनी मिल के गत व र् सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ना उत्पादन में **लगभग 30 प्रतिशत** कमी होना सम्भावित है।

चीनी मिल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, यातायात की सुविधा, गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति, गन्ना समितियों/कृ ाकों द्वारा दिये गये प्रस्ताव, गत व र् आवंटित क्षेत्र में गन्ना क्षेत्रफल, तथा क्षेत्र में गन्ना व्यावर्तन की स्थिति आदि कारकों पर विचार किया गया। चीनी मिल क्षेत्र में **गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता** को देखते हुए इस चीनी मिल को अधिकतम **59.26 ला0कुं0** गन्ना उत्पादन का आबंटन किया जा सकता है ।

इस चीनी मिल के **जनपद– सहारनपुर ,मुजफ्फरनगर** में गन्ने की औसत उपज **546.96 तथा 595.44 कुं0 प्रति हेक्टेयर** है, जो कि पेराई सत्र 2008–09 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार कराये गये काप कटिंग के परिणामों पर आधारित है, तथा सभी सम्बन्धित को इस कार्यालय के पत्र संख्या– 950/सी/कय/ग0आ0दिनांक 12–06–2009 द्वारा संसूचित की गई है, जिसके आधार पर **59.26 ला0कुं0** गन्ना उत्पादन की प्रतिपूर्ति **कुल 10780 हेक्टेयर** गन्ना क्षेत्रफल से होना सम्भावित है।

अतः सम्बन्धित चीनी मिलों, गन्ना समितियों/गन्ना कृ ाकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं पक्ष सुनने, चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन/उपलब्धता एवं अन्य सुसंगत बिन्दुओं को दृ टगत रखते हुए मैं, **सुधीर एम.बोबडे, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश,** उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–15, उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली–1954 के नियम–22 एवं ुगर केन कन्ट्रोल आर्डर–1966 की उपधारा–6 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए समस्त पूर्व आदेशों का अतिकमण करते हुए, संलग्न तालिका के खण्ड–1(क) में अंकित कयकेन्द्रों को सुरक्षित तथा खण्ड 1(ख) में अकिंत कय केन्द्रो को गन्ना पूर्ति हेतु पेराई सत्र 2009–10 के लिए अभ्यर्पित करता हूं, तथा आवंटी चीनी मिलों के अध्यासियों को आदेशित करता हूं कि गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) आदेश–1954 के उपबन्ध–3 (3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारूप–स पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से करें तथा चीनी मिल चलने के साथ ही समस्त कयकेन्द्रों का संचालन एवं समानुपातिक गन्ना खरीद सुनिश्चित करें ।

उक्त चीनी मिल के अध्यासी को उ0प्र0गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–15 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निर्देशित करता हूं कि गन्ना पेराई सत्र समापन के लिए अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियों, जिला गन्ना अधिकारियों तथा क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त से प्राप्त कर इस कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही पेराई सत्र का समापन करें ।

उपर्युक्त आदेश पेराई सत्र 2009–10 के लिए जारी किए जा रहे हैं । यह तब तक वैध रहेगें, जब तक इस सम्बन्ध में नये आदेश या संशोधन प्रसारित न किए जायं ।

(सुधीर एम.बोबडे)
गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश

टिप्पणी

1 इस व ि जिन नये क्रयकेन्द्रों की स्थापना के आदेश दिये जा रहे हैं, उन क्रयकेन्द्रों के स्थान का चयन सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी द्वारा गन्ना किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, चीनी मिल एवं गन्ना समितियों की राय से किया जायेगा तथा क्रयकेन्द्रों से सम्बद्ध होने वाले ग्रामों की सूची भी बनाकर सर्व सम्बन्धित को सूचित करेगें । जिला गन्ना अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कराया जाय कि एक कृ क के गन्ने की आपूर्ति एक क्रयकेन्द्र पर अथवा केन्द्र के एक ही भाग पर सुनिश्चित कराई जाय, एक से अधिक क्रयकेन्द्र/केन्द्र के भाग पर आपूर्ति की सुविधा न दी जाय ।

2 चीनी मिलों एवं गन्ना समितियों तथा किसानों की ओर से कुछ क्रयकेन्द्रों के स्थान परिवर्तन करके उसी राजस्व ग्राम से दूसरे स्थान पर लगाने तथा कुछ क्रयकेन्द्रों के ग्रामों को उसी चीनी मिल के पूर्ववर्ती क्रयकेन्द्रों से हटाकर दूसरे क्रयकेन्द्रों पर

सम्बद्ध किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए/होते हैं । ऐसे प्राप्त प्रस्तावों पर जिला गन्ना अधिकारी, सम्बन्धित चीनी मिल एवं गन्ना समिति की राय प्राप्त कर अपनी संस्तुति इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेि ात करेगें ।

3 यदि पेराई सत्र 2009–10 में चीनी मिल द्वारा सन्तो ाजनक मात्रा में पेराई न कर पाने के कारण या चीनी मिल बन्द हो जाने के कारण गन्ने का व्यावर्तन किया जाना अपरिहार्य प्रतीत होता है, तो व्यावर्तित गन्ने की ढुलाई व्यय उसी चीनी मिल को देना होगा, जिसे क्रयकेन्द्र मूलरूप में आवंटित हुआ था ।

4 गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) आदेश–1954 के उपबन्ध–3 (3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारूप–स पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से किया जायेगा, जो चीनी मिलें निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करेगीं उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

5 चीनी मिलों द्वारा उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–17 एवं 18 तथा उ0प्र0 शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर–1966 के खण्ड–3 (3) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में गन्ना मूल्य एवं विकास कमीशन का भुगतान सुनिश्चित करें। अन्यथा बाध्य होकर चीनी मिलों को आवंटित गन्ना क्षेत्र को व्यावर्तित करने पर विचार किया जायेगा ।

(सुधीर एम.बोबडे)

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश

पत्रांक 16 / सी/क्रय–सुर0/2009–10 दिनांक 02–11– 2009

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेि ात :–

1 प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश ाासन, बापू भवन, लखनऊ ।

2 सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को इस आशय से प्रेि ात कि वह उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली–1954 के नियम–23 के अनुसार उक्त आदेशों को प्रकाशित कराने का क ट करें ।

3 निदेशक, बांट एवं माप, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

4 सम्बन्धित क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेि ात कि उक्त आदेश सर्व सम्बन्धित को अपने स्तर से प्रेि ात करने का क ट करें ।

5 सम्बन्धित उप चीनी आयुक्त ।

6 सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेि ात कि वे क्रयकेन्द्रों के चलने की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त को चीनी मिल चलने के 15 दिनों के अन्तर्गत अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायें ।

7 सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्तों को इस निर्देश के साथ प्रेि ात कि वे क्रयकेन्द्रों के चलने की स्थिति पर स्वयं भी निगरानी रखेगें तथा यथा निर्दि ट समय के अन्तर्गत क्रयकेन्द्र न चलाये जाने पर चीनी मिल के विरूद्ध समुचित कार्यवाही कराते हुए, अनुपालन की स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें ।

8 सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियां ।

9 अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, सम्बन्धित चीनी मिलें ।

(डा0 कृपाल सिंह)
उप गन्ना आयुक्त (क्रय)
कृते गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश

पत्रांक 16 /सी /क्रय /सुर0/2009–10 लखनऊ दिनांक 02–11–2009 (संलग्नक पृष्ठ 1)

उत्तम शुगर मिल्स लि0 यूनिट शेरमऊ जनपद सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर

खण्ड 1(क)

क्र0 स0	नाम समिति	नाम क्रय केन्द्र	क्रय केन्द्र से दुरी किमी	गन्ना क्षेत्रफल है0	गन्ना उत्पादन ला0कु0	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यूक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहारनपुर	मिल गेट	0	2122	11.61	सुरक्षित	
2		नल्हेडा	9	161	0.88	सुरक्षित	
3	सरसावा	मिल गेट	0	2118	11.58	सुरक्षित	
4		शीतलपुर	14	100	0.55	सुरक्षित	
5		हाजीपुर प्रथम / दैदनोर	6	31	0.17	सुरक्षित	
6		हाजीपुर –द्वितीय	6	179	0.98	सुरक्षित	
7		नथोडी	7	71	0.39	सुरक्षित	
8		फतेहपुर जटट	9	292	1.60	सुरक्षित	
9		डालेवाला	7	231	1.26	सुरक्षित	
10		ढायकी प्रथम	7	272	1.49	सुरक्षित	
11		ढायकी द्वितीय	7	57	0.31	सुरक्षित	
12	सरसावा	कुण्डाकला	29	98	0.54	सुरक्षित	
13		चाऊपुरा	32	73	0.40	सुरक्षित	
14		ढलावली	32	46	0.25	सुरक्षित	
15	ननौता	सलारपुरा प्रथम	2	214	1.17	सुरक्षित	
16		सलारपुरा द्वितीय	2	227	1.24	सुरक्षित	
17		बूढनपुर	6	144	0.79	सुरक्षित	
18		बाढीमाजरा	6	135	0.74	सुरक्षित	
19		गंगोह	8	349	1.91	सुरक्षित	
20		खानपुर गुर्जर	7	190	1.04	सुरक्षित	

		योग		**7110**	**38ण89**		

नोटः– कय केन्द्र सलारपुरा प्रथम ,द्वितीय,बुढनपुर ,बाढीमाजरा ,गंगोह ,खानपुर गुर्जर मिलद्वार पर आबद्व होगे परन्तु यथाआवश्यक इन कय केन्द्रो का संचालन भी किया जायेगा ।

पत्रांक 16 /सी /कय /सुर0/2009–10 लखनऊ दिनांक 02–11–2009 (संलग्नक पृष्ठ 2)

उत्तम शुगर मिल्स लि0 यूनिट शेरमऊ जनपद सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर

खण्ड 1 (ख)

क0 स0	नाम समिति	नाम कय केन्द्र	कय केन्द्र से दुरी किमी	गन्ना क्षेत्रफल है0	गन्ना उत्पादन ला0कु0	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यूक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सरसावा	शकरपुर	14	78	0ण43	अभ्यर्पित	सरसावा चीनी मिल से
2		पखनपुर	14	90	0ण49	अभ्यर्पित	,,
3		ततारपुर कला	16	95	0ण52	अभ्यर्पित	,,
4		खालिदपुर	20	80	0ण44	अभ्यर्पित	,,
5		भगवानपुर	10	157	0ण86	अभ्यर्पित	,,
6		लखनोती	11	312	1ण71	अभ्यर्पित	,,
7		उमरपुर	12	68	0ण37	अभ्यर्पित	,,
8		बासदेई	19	54	0ण30	अभ्यर्पित	,,
9		मानपुरकदीम	15	106	0ण58	अभ्यर्पित	,,
10		साल्हापुर प्रथम	12	94	0ण51	अभ्यर्पित	,,
11		कुण्डाखुर्द	12	55	0ण30	अभ्यर्पित	,,
12		दौलतपुर	12	75	0ण41	अभ्यर्पित	,,
13		सिकन्दरपुर द्वितीय	12	74	0ण40	अभ्यर्पित	,,
14		सौराजपुर	11	53	0ण29	अभ्यर्पित	,,
15	सहारनपुर	नयागाव	5	73	0ण40	अभ्यर्पित	बिडवी चीनी मिल से

16		बाधी	6	329	1॰80	अभ्यर्पित	,,
17		शुक्रताल	7	113	0॰62	अभ्यर्पित	,,
18		जैनपुर	7	182	1॰00	अभ्यर्पित	,,
19	नानौता	डुभरकिशनपुर –प्रथम	17	215	1॰18	अभ्यर्पित	*ननौता मिल से*
20		डुभरकिशनपुर –द्वितीय	17	277	1॰52	अभ्यर्पित	,,
		योग		**2580**	**14॰11**		

पत्रांक 16 /सी /क्रय /सुर0/2009–10 लखनऊ दिनांक 02–11–2009(संलग्नक पृष्ठ 3)

उत्तम शुगर मिल्स लि0 यूनिट शेरमऊ जनपद सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर

खण्ड 1 (ख)

क0 स0	नाम समिति	नाम क्रय केन्द्र	क्रय केन्द्र से दुरी किमी	गन्ना क्षेत्रफल है0	गन्ना उत्पादन ला0कु0	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्यूक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
21	नानोता	कलालहटी	18	148	0॰81	अभ्यर्पित	ननौता चीनी मिल से
22		इस्सोपुर	19	122	0॰67	अभ्यर्पित	,,
23	सहारनपुर	इस्लामनगर द्वितीय (नया)	13	209	1॰14	अभ्यर्पित	बिडवी चीनी मिल से
24	ऊन	म्यानकस्बा प्रथम	40	195	1॰16	अभ्यर्पित	ऊन मिल से
25		म्यानकस्बा द्वितीय	40	143	0॰85	अभ्यर्पित	,,
26		ऊदपुर	36	131	0॰78	अभ्यर्पित	,,
27		मंगलौरा	34	142	0॰85	अभ्यर्पित	,,
		योग		**1090**	**6॰26**		
		योग अभ्यर्पित		**3670**	**20॰37**		
		महायोग		**10780**	**59॰26**		